

:: आ दे श ::

श्री विष्णूदत्त शर्मा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति नवलगढ़ (झुंझुनू) के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से दिनांक 31.12.2021 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री शर्मा के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन जिला परिषद झुंझुनू में दो 16 सीसीए जाँचे (ज्ञापन क्रमांक 3185-86 दिनांक 27.07.2020 एवं 1307-08 दिनांक 03.03.2020) विचाराधीन/लम्बित है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(डॉ. प्रवीण कुमार)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव-II

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद झुंझुनू।
4. विकास अधिकारी, पं.स. नवलगढ़ (झुंझुनू)।
5. श्री विष्णूदत्त शर्मा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति नवलगढ़ (झुंझुनू)
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव-II